भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3236

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

भूजल स्तर में कमी

3236. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में भूजल स्तर में कमी को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ख) भूजल पुनर्भरण के लिए क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों की सफलता दर क्या है;

(ग) गंभीर जल संकट का सामना कर रहे क्षेत्रों की श्रेणी में आने वाले उक्त जिलों का ब्यौरा और नाम क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे राज्यों में जल संरक्षण के लिए राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): जल राज्य का विषय है। भूजल से संबंधित मुद्दों के समाधान का दायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों का है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों का समर्थन किया जाता है। इस दिशा में, जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा देश के भूजल संसाधनों में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें जल की कमी वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऐसी विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण और इनके उल्लेखनीय निष्कर्ष निम्नलिखित हैं: -

i. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है जो वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए मिशन मोड पर एक समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, देश के जल की कमी वाले 151 जिलों पर विशेष बल देते हुए जेएसए 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जेएसए एक व्यापक अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण में भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। जेएसए डैशबोर्ड के अनुसार, पिछले 4 वर्षों में देश में 1.07 करोड़ से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया है।

ii. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो भूजल के मांग पक्ष प्रबंधन पर बल देते हुए सहभागी भूजल प्रबंधन के लिए समुदाय आधारित योजना है। वर्तमान में इस स्कीम का कार्यान्वयन 7 राज्यों के 80 जिलों में किया जा रहा है, इनकी पहचान अन्य कारकों के साथ-साथ इन स्थानों में जल की कमी के आधार पर भी की गई है। इस प्रकार अटल जल क्षेत्रों में कुशल सिंचाई प्रथाओं के तहत अब तक कुल 6.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को अभिसरण के माध्यम से शामिल किया गया है।

iii. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा पूरे देश में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 तैयार किया गया है और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। इस मास्टर प्लान में 185 बीसीएम (बिलियन घन मीटर) जल के दोहन हेतु देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है।

iv. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए और एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से देश में प्रति बूंद अधिक फसल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि और उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है। यह योजना देश में जल समस्याग्रस्त क्षेत्रों के लिए अत्यधिक लाभकारी है; जहां सिंचाई उद्देश्यों के लिए जल की सीमित उपलब्धता है। वर्ष 2015-16 से दिसंबर 2024 तक पीडीएमसी योजना के माध्यम से देश में सूक्ष्म सिंचाई के तहत 94.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है।

v. भारत सरकार द्वारा जल के भंडारण में वृद्धि करने और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रत्येक जिले में मिशन अमृत सरोवर शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है।

vi. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सतही जल और भूजल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है और भूजल पर निर्भरता को कम करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से पीएमकेएसवाई-एआईबीपी योजना के तहत देश में सतही जल आधारित वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

vii. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक मॉडल बिल उपलब्ध कराया गया है ताकि वे भूजल के निष्कर्षण के विनियमन के लिए उपयुक्त भूजल कानून का अधिनियमन कर सकें। इस मॉडल बिल मे वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है। अब तक कर्नाटक सहित 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूजल कानून को अपनाकर इसका कार्यान्वयन किया गया है।

इन सभी उपायों के परिणामस्वरूप, देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण वर्ष 2017 में 432 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) से बढ़कर वर्ष 2024 में 446.9 बीसीएम हो गया है। इसके अतिरिक्त, भूजल निष्कर्षण का चरण(एसओई) जिसे कुल वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल की तुलना में सभी उपयोगों के लिए कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, यह इसी अवधि के दौरान 63% से घटकर 60.47% हो गया है, जो भूजल स्थिति में समग्र सुधार को दर्शाता है।

(ग): अतिदोहित (ओई) श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत जिले, जहां निष्कर्षण का चरण 100% से अधिक है, का ब्यौरा अनुलग्नलक में दिया गया है।

(घ): जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही अधिकांश स्कीमें और अभियान देश में जल की कमी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। इन कार्यक्रमों को आरंभ करने के लिए जिला/ब्लॉक की चयन प्रक्रिया में भूजल में गिरावट वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। बजटीय आवंटन में भी इसी प्रकार की प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि जेएसए, पीडीएमसी, नेक्यूम, अमृत सरोवर आदि जैसी योजनाएं/कार्यक्रम पूरे देश में कार्यान्वित किए जा रहे हैं, आंतरिक रूप से, उन राज्यों और क्षेत्रों को अतिरिक्त महत्व प्रदान करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की गई है, जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

केन्द्र सरकार की उपर्युक्त स्कीमों के अतिरिक्त, कई राज्यों द्वारा जल संरक्षण/संचयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये गए है। इनमें से कुछ का उल्लेख राजस्थान में 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान', महाराष्ट्र में 'जलयुक्त शिवर', गुजरात में 'सुजलाम सुफलाम अभियान', तेलंगाना में 'मिशन काकतिया', आंध्र प्रदेश में नीरू चेट्टू', बिहार में जल जीवन हरियाली, हरियाणा में 'जल ही जीवन', तमिलनाडु में 'कुडीमारमठ' योजना आदि के रूप में किया जा सकता है।

*****

अनुलग्नक

"भूजल स्तर में कमी" के संबंध में दिनांक 20.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 3277 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

भूजल संसाधन आकलन-2024 के अनुसार>100% से अधिक निष्कर्षण की अवस्था (अर्थात अतिदोहित) वाले जिलों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	>100% से अधिक निष्कर्षण के चरण वाले जिलों की संख्या	>100% से अधिक निष्कर्षण के चरण वाले जिलों के नाम
1.	गुजरात	04	बनासकांठा, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन
2.	हरियाणा	16	अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरगांव, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, पानीपत, रेवारी, सिरसा, सोनीपत, यमुना नगर
3.	कर्नाटक	05	बैंगलोर (ग्रामीण), बैंगलोर (शहरी), चिक्काबल्लापुरा, चित्रदुर्ग, कोलार
4.	मध्य प्रदेश	06	इंदौर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन
5.	पंजाब	19	अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मलेरकोटला, मानसा, मोगा, पटियाला, एसएएस नगर, एसबीएस नगर, संगरूर, तरनतारन
6.	राजस्थान	29	अजमेर, अलवर, बरन, बाड़मेर, भरतपुर, भिलिवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौरगढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झलावर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर
7.	तमिलनाडु	09	चेन्नई, टिंडीगुल, मयिलादुथुराई, नमक्कल, पेरम्बलूर, सलेम, तंजावुर, तिरुपत्तूर, वेल्लोर
8.	तेलंगाना	01	हैदराबाद
9.	उत्तर प्रदेश	05	आगरा, फिरोजाबाद, जी.बी.नगर, गाजियाबाद, शामली
10.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	03	दादरा नगर हवेली, दमन, दीव
11.	दिल्ली	05	नई दिल्ली, उत्तर, उत्तर पूर्व, शाहदरा, दक्षिण

*****